



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं: NCST/DEV-1565/CG/6/2023-ESDW (RU-I)

दिनांक: 12.05.2026

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
जिला-कांकेर,  
कार्यालय जिला कलेक्टर,  
बस स्टैंड के पास,  
कांकेर, छत्तीसगढ़-494334  
ई-मेल : kanker.cg@nic.in

विषय: गैर आदिवासी द्वारा आवेदक की भूमि पर कब्जा करने के संबंध में श्री राजेन्द्र दरौं पिता स्व. घस्सूराम दरौं, निवासी ग्राम-बडगांव, थाना-बडगांव, तहसील-पंखाजूर, जिला-कांकेर, छत्तीसगढ़ से दिनांक 13.03.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.04.2023 एवं 26.05.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 20.05.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)  
निदेशक/Director  
दूरभाष: 011-20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री राजेन्द्र दरौं  
पिता स्व. घस्सूराम दरौं,  
निवासी ग्राम-बडगांव, थाना-बडगांव, तहसील-पंखाजूर,  
जिला-कांकेर, छत्तीसगढ़  
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में  
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/DEV-1565/CG/6/2023-ESDW (RU-I)

दिनांक: 24.04.2023

सेवा में,

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
जिला-कांकेर,  
कलेक्टर ऑफिस, बस स्टैंड के पास,  
जिला-कांकेर, छत्तीसगढ़-494334  
ई-मेल:kanker.cg@nic.in

विषय: गैर आदिवासी द्वारा आवेदक की भूमि पर कब्जा करने के संबंध में श्री राजेन्द्र दरो पिता स्व. घस्सूराम दरो, निवासी ग्राम-बडगांव, थाना-बडगांव, तहसील-पंखाजूर, जिला-कांकेर, छत्तीसगढ़ का दिनांक 13.03.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 24.04.2023.

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के समसंख्यक नोटिस दिनांक 24.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करें। सूचित किया जाता है की उक्त संबंध में आयोग को अभी तक आपकी ओर से कोई उत्तर/रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

2. अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर कि गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना/रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि

S. No 9350-9351

20/04/2023

प्रतिलिपि संलग्न:

जारी किया  
ISSUED

श्री राजेन्द्र दरो  
पिता स्व. घस्सूराम दरो,  
निवासी ग्राम-बडगांव, थाना-बडगांव,  
तहसील-पंखाजूर, जिला-कांकेर,  
छत्तीसगढ़

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)  
उप-निदेशक/Deputy Director  
E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in  
दूरभाष: 011-20819839



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1565/CG/6/2023-ESDW

दिनांक: 24/4/23

डॉ. (सुश्री) प्रियंका शुक्ला,  
कलेक्टर,  
जिला कांकेर,  
कलेक्टर ऑफिस,  
बस स्टैंड के पास,  
जिला-कांकेर,  
छत्तीसगढ़-494334  
E-mail: kanker.cg@nic.in

विषय: गैर आदिवासी द्वारा आवेदक की भूमि पर कब्जा करने के संबंध में श्री राजेन्द्र दर्रो, पिता स्व. घस्सूराम दर्रो,, निवासी ग्राम-बडगांव, थाना-बडगांव, तहसील-पंखाजूर, जिला-कांकेर, छत्तीसगढ़ से दिनांक 13.03.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री राजेन्द्र दर्रो से दिनांक 13.03.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री राजेन्द्र दर्रो,  
पिता स्व. घस्सूराम दर्रो,  
निवासी ग्राम-बडगांव, थाना-बडगांव,  
तहसील-पंखाजूर, जिला-कांकेर,  
छत्तीसगढ़
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर  
अपलोड करने हेतु।

24/4/23

of  
594243  
जारी किया  
ISSUED  
24/4/23